न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 111/2012
पंजीयन दिनांक 09.04.2012

(1). भैरूलाल पिता रतनलाल जाति गूर्जर नाबालिग बविलायत नोजी पत्नी रतनलाल जाति गूर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम उण्डवा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(2). नोजीबाई पत्नी रतनलाल जाति गूर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम उण्डवा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). लेहरू पिता एकलिंग मुतबन्ना गिरधारी जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(2). देवीलाल पिता मादु गूर्जर निवासी सालेरा हाल दडबा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

(3). चान्दी पुत्री लालू गूर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम देवदा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(4). सोहनी पुत्री लालू पत्नी रामा जाति गूर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम संती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(5). नन्दु पुत्री लालू गूर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(6). शंभूलाल पिता एकलिंग जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(7). नन्दु पत्नी जीतमल जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील ग्ंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(8). भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 63/2010 निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.11.2011

उपस्थित वक्त बहस-(1). मोहनलाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). दिनेशचन्द्र दायमा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). शांतिलाल बसेर-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण सख्या 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(4). रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5- बावजूद सूचना अनुपस्थित
(5). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० 8

निर्णय **दिनांक 29.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188, 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीग संख्या 7 सगे भाई होकर स्वर्गीय खातेदार एकलिंग पिता छीतर जाट के जायन्दा वारिस है। स्वर्गीय छीतर के दो लड़के एकलिंग व गिरधारी दोनो मौजा सालेरा की साबिक जमाबंदी आराजी संख्या 599 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा को पूर्व खातेदार कालू पिता भूरा गूर्जर की एकमात्र वारिस उसकी पत्नी श्रीमती तुलसीबाई से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की । जो कि सम्वत 1991 तदनुसार सन 1935 की जमाबंदी मे अंकित है। उक्त साबिक आराजी संख्या 599 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के पडौस पूर्व मे सरकारी नाला, पश्चिम मे भीमा गूर्जर, उत्तर मे गमेर जाट, दक्षिण मे कालू गूर्जर है। उक्त चार ही पाडौसान के मध्य अवस्थित कृषि भूमि पर खातेदार छीतर एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान एकलिंग व गिरधारी संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित साबिक आराजी संख्या 599 के नवीन बन्दोबस्ती आराजी संख्या 965, 966 कायम करके उनका रकबा क्रमशः 0.35 हैक्टेयर स्वर्गीय गिरधारी के नाम अंकित कर दी एवं नवीन आराजी संख्या 966 रकबा 0.42 हैक्टेयर कायम करके प्रतिवादी संख्या 7 के नाम अंकित कर दिया है, जबकि साबिक बन्दोबस्त आराजी संख्या 599 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के 0.90 हैक्टेयर का क्षेत्रफल अंकित करना चाहिये था जो न करके कुलिया 0.77 हैक्टेयर भूमि ही खाते मे दर्ज की है। शेष इसी आराजी की भूमि जो साबिक नक्शे के अनुसार बने नवीन नक्शा ट्रेस मे आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर, नवीन नक्शा ट्रेस व खाते मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व पति स्वर्गीय लालू , प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के पिता स्वर्गीय गोपी वारिस रतनलाल के नाम नवीन भू-प्रबन्धकीय कार्यवाही मे अन्य खातेदार की आराजीयात के साथ इस आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर को भी संयुक्त रूप से खातेदारी में अंकित कर दिया है, जबकि मौके पर कब्जे के अनुसार अलग से आराजी संख्या 964 का कही अस्तित्व नहीं होकर आराजी संख्या 965 का ही अभिन्न अंग के रूप मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त मे व उससे पूर्व एकलिंग एवं गिरधारी के संयुक्त उपयोग उपभोग मे कायम रहा है। इसी प्रकार नवीन आराजी संख्या 967 जो साबिक खसरा संख्या 597 से बना है वह भी प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक 1 से लगायत 5 के पिता स्वर्गीय लालू पिता कालू गूर्जर के नाम दर्ज है। इस साबिक आराजी संख्या 597 के भू-प्रबन्धकीय कार्यवाही के दौरान दो हिस्से करके नवीन खसरा संख्या 967 एवं 968 रकबा कमशः 0.11 हैक्टेयर व 0.31 हैक्टेयर कुलिया 0.42 हैक्टेयर कायम कर दिये है जबकि साबिक आराजी सख्या 597 का रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा ही दर्ज रेकॉर्ड था। इसी प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी द्वारा कयशुदा कृषि आराजीयात साबिक आराजी संख्या 599 मे से 0.05 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीगण व अपीलांटगण के साबिक आराजी संख्या 597 व 598 मे बढ़ाते हुए यह रकबा नवीन आराजी संख्या 965, 966 मे संयुक्त रूप से 0.13 हैक्टेयर कम कर दिया। साबिक आराजी के रकबे की गणना दशमलव पद्धति से करने पर 0.90 हैक्टेयर के स्थान पर जो 0.13 हैक्टेयर के अन्तर वाला रकबा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नये उक्त दोनो नम्बरान मे रकबा कम किया गया है उसके लिये वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उक्त रकबा 0.13 हैक्टेयर तक के लिये खातेदारी घोषणा का यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान मे नवीन बन्दोबस्त जमाबन्दी की आराजी संख्या 964 पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अथवा इसके पूर्व खातेदारान साबिक बन्दोबस्ती आराजी संख्या 599 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 7 का संयुक्त रूप से खसरा संख्या 964, 965, 966 सहित सम्पूर्ण रकबा 0.90 हैक्टेयर पर संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवीन आराजी सख्या 965 रकबा 0.35 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.43 हैक्टेयर पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही कब्जा होने का उल्लेख दौराने पेमाईश तैयार किये गये मिलान खसरा के कॉलम संख्या 24 पर मौजूद है। इसी प्रकार नवीन आराजी संख्या 967 जो साबिक नक्शा ट्रेस मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी साबिक आराजी सख्या 599 एवं सरकारी नाला के मध्य साबिक आराजी संख्या 597 के रूप मे दर्शा रखा है उसे भी नक्शा ट्रेस बदल कर साबिक आराजी संख्या 599 को सरकारी नाले से जुडवा अंकित कर दिया है। इसी कम मे नवीन आराजी संख्या 967, 968, 969, 970 की समस्त अवस्थिति साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले नवीन बन्दोबस्ती कार्यवाही वर्ष 1982 से 1983 के बीच बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि के क्षेत्रफल नक्शा ट्रेस के आकार मे मनमाने तौर पर परिवर्तन कर त्रुटि कर दी है उसे इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये पुनः दुरूस्ती करवाने हेतु खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्वर्गीय लालू के वारिसान एवं स्वर्गीय रतनलाल पिता गोपी ने मिलकर संयुक्त रूप से संयुक्त खाते की कृषि आराजी संख्या 964, 967, 968 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर जो उनके संयुक्त खातेदारी मे दौराने पेमाईश दर्ज कर दी गई थी उसका नुमाईशी विक्रय पत्र तादादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1,25,000/- रूपये मे प्रतिवादिया संख्या 8 नन्दूबाई पत्नी जीतमल जाट को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 15.07.2008 तकमील करा पंजीयन करा दिया है। यह विकय पत्र भू-प्रबन्धकीय त्रुटि के कारण वादी के हितो के प्रतिकूल होने से 0.13 हैक्टेयर भूमि यानि 0.08 हैक्टेयर नवीन आराजी संख्या 964 के रूप मे पूरा वादी के स्वत्वाधिकार का है और शेष 0.05 हैक्टेयर नवीन खसरा संख्या 967, 968 से कमशः 0.02 व 0.03 हैक्टेयर तक वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 7 के खाते मे दर्ज होना चाहिए था इसलिए कथित अन्तरण पत्र इस सीमा तक वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हितों के प्रतिकूल होकर शून्य है। प्रतिवादी संख्या 7 भू-प्रबन्धकीय त्रुटि का अनुचित लाभ स्वयं अर्जित करना चाहता है। साबिक आराजी संख्या 599 एक ही नम्बर के रूप मे स्वर्गीय छीतर मूल पुरूष द्वारा समस्त हक हकूको सहित कय किया गया और बंटवाड़े के नाम से गलत इन्द्राज वर्ष 1982 के आस-पास नई जमाबन्दी व नये नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कायम हुए है। प्रतिवादी संख्या 7 सार्वजनिक आम रास्ता से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके हक हिस्से मे रखी आराजी संख्या 964, 965 मे आने-जाने के लिये व अपनी आराजी सख्या 966 मे प्रवेश करने मे रूकावट पैदा करने लगा है जबकि मूल पुरूष छीतर व उसके दोनो उत्तराधिकारी एंकलिंग व गिरधारी भी संयुक्त रूप से उक्त तीनो ही आराजीयात पर समान रूप से काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात पर आने-जाने, सिंचाई आदि करने मे कभी भी एकलिंग ने गिरधारी को मना नहीं किया और यह कम गिरधारी के जीवनकाल मार्च 2010 तक कायम रहा है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध विशेष रूप से निषेधात्मक निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना आवश्यक है। अन्त मे वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे उल्लेखित मौजा सालेरा की नवीन आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं आराजी सख्या 967, 968 मे से कमशः 0.03 हैक्टेयर एवं 0.02 हेक्टेयर कुलिया 0.13 हैक्टेयर कृषि आराजीयात वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने व राजस्व रेकॉर्ड मे आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर मे प्रतिवादीया नन्दुबाई पत्नी जीतमल जाट का नाम विलोपित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज किये जाने व आराजी संख्या 964, 967, 968 मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से तक मौके पर कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण अपीलांटगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ परन्तु दिनांक 15.07.2011 को उसको उपस्थित नहीं होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यवाही के आदेश पारित किये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 8 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर दिनांक 24.06.2011 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 को भी बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध भी दिनांक 06.04.2011 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध दिनांक 02.11.2011 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 ने स्वयं को फोरमल पक्षकार होना बताकर जवाब की आवश्यकता नहीं होना बताने एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से एवं प्रतिवादीगण का जवाबदावा नहीं होने से प्रकरण मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होना बताकर एकतरफा मे साक्ष्य वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिवायी जाकर तत्पश्चात अधिवक्ता वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकतरफा मे बहस सुनी जाकर दिनांक 25.11.2011 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सालेरा तहसील गंगरार की आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 967 रकबा 0.11 हैक्टेयर मे से 0.03 हैक्टेयर व आराजी संख्या 968 रकबा 0.31 हैक्टेयर मे से रकबा 0.02 हैक्टेयर कुलिया 0.13 हैक्टेयर भूमि का वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाकर आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर के सम्पूर्ण इन्द्राज मे प्रतिवादी संख्या 8 नन्दूबाई पत्नी जीतमल जाट के नाम खातेदारी का इन्द्राज विलोपित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने एवं वर्तमान आराजी संख्या 967 व 968 मे से कमशः रकबा 0.03 हैक्टेयर व रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 8 की खातेदारी मे से कम की जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने एवं राजस्व रेकॉर्ड मे उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त करते हुए वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया कि वे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे न ही किसी अन्य से करावे एवं विवादित कृषि आराजीयात को रहन, बह, बक्षीस या अन्य तरीके से दीगर को हस्तांतरित नहीं करे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 5 व 6 ने प्रथम अपील इस न्यायायल मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को बिना सूचना दिए एकतरफा मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की अनुपस्थिति मे बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा मे निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की प्रोपर तामील नही हुई । अपीलांट संख्या 1 जो कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथन अनुसार नाबालिग होकर नाबालिग के हितों के विरूद्ध कानूनी वली नियुक्त कराये जाने के अभाव मे एकतरफा मे नाबालिग के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे विक्रय पत्र को शून्य व बेअसर घोषित किया है, जिसका अधिकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को नहीं है। उक्त विक्रय पत्र को शून्य व बेअसर घोषित करने का अधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विक्रय पत्र को शून्य एवं बेअसर घोषित किया है जो अवैधानिक होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा-80 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र पर बिना किसी प्रकार का आदेश पारित किये ही निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की तामील हुए बिना व अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को बिना सुने व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर नाबालिग के विरूद्ध एकतरफा मे निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 स्वीकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ परन्तु दिनांक 15.07.2011 को उसके उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.06.2011 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई और प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध भी दिनांक 06.04.2011 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध दिनांक 02.11.2011 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 फोरमल पक्षकार होने से जवाब पेश किये जाने की आवश्यकता नहीं होने एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से एवं अन्य प्रतिवादीगण का जवाबदावा नहीं होने से प्रकरण मे तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने से एकतरफा मे साक्ष्य ली जाकर तत्पश्चात अधिवक्ता वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकतरफा मे बहस सुनी जाकर दिनांक 25.11.2011 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर मौजा सालेरा तहसील गंगरार की नवीन आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 967 रकबा 0.11 हैक्टेयर मे से 0.03 हैक्टेयर व आराजी संख्या 968 रकबा 0.31 हैक्टेयर मे से रकबा 0.02 हैक्टेयर कुलिया 0.13 हैक्टेयर भूमि का वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाकर आराजी संख्या 964 रकबा 0.08 हैक्टेयर के सम्पूर्ण इन्द्राज मे प्रतिवादी संख्या 8 नन्दूबाई पत्नी जीतमल जाट के नाम खातेदारी का इन्द्राज विलोपित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने एवं वर्तमान आराजी संख्या 967 व 968 मे से रकबा क्रमशः 0.03 हैक्टेयर व रकबा 0.02 हैक्टेयर कृषि आराजीयात प्रतिवादी संख्या 8 की खातेदारी मे से कम की जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने एवं राजस्व रेकॉर्ड मे उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त करते हुए वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 5 व 6 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अन्त मे अपील अपीलांटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 व अन्य प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये जबकि अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को जारी सम्मन नोटिस मे तामील रिपोर्ट मे देऊ के द्वारा सम्मन प्राप्त होना अंकित है जिससे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की प्रोपर तामील नहीं होना स्पष्ट होता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की तामील होना मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण सख्या 5 व 6 को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक न्याय से वंचित रखते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा मे निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने तुलसी पत्नी कालू से विवादित कृषि आराजीयात क्रय करना बताया है जबकि कालू के वारिसान मे कालू के पुत्र लालू व गोपी थे। ऐसी स्थिति मे कालू की पत्नी तुलसी अकेले को उक्त आराजीयात विक्रय करने का अधिकार किस प्रकार रहा है, इस तथ्य को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है । साथ ही हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट संख्या 1 भैरूलाल नाबालिग रहा है, फिर भी भैरूलाल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 63/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2011 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपीलांट संख्या 1 के वर्तमान मे नाबालिग होने की स्थिति मे उसके हितों की पैरवी हेतु वली नियुक्त किया जाकर अथवा अपीलांट संख्या 1 के वर्तमान मे बालिग होने की स्थिति मे उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण मे कालू के पुत्र लालू व गोपी को पक्षकार कायम करते हुए, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर, अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)